



उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

मंगलवार, 19 आषाढ़, शक संवत्, 1929

(दिनांक : 10 जुलाई, 2007)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्पसूचित प्रश्न (देखिए नत्थी “क”)।
2. अन्य प्रश्न (देखिये नत्थी “ख” तथा “ग”)।
3. निधन के निदेश।
4. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12 की उपधारा (7) के अनुसार लोक आयुक्त उत्तराखण्ड का दिनांक 01 जनवरी, 2005 से 31 दिसम्बर, 2005 तक का प्रतिवेदन, स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित सदन के पटल पर रखेंगे।
5. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
6. श्री बलवीर सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा, “जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग अस्थाई खण्ड घनसाली के ग्राम सौंप-आर्स-नैक्वाडा-चुरेना-चामी मोटर मार्ग के सम्बन्ध में” श्री विरेन्द्र सिंह रावत, एवं अन्य निवासीगण, ग्राम व पो0- सौंप, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
7. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
8. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

9. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
10. पशुपालन मंत्री, उत्तराखण्ड गौ-वंश संरक्षण विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
11. पशुपालन मंत्री, उत्तराखण्ड गौ-वंश संरक्षण विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करेंगे।
12. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड पुलिस विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
13. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड पुलिस विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करेंगे।
14. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।
15. वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान :-

1- मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-10, पुलिस एवं जेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 2762152 हजार (दो सौ छिहत्तर करोड़ इक्कीस लाख बावन हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (घ))

2- मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-21, ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 2222966 हजार (दो सौ बाईस करोड़ उन्तीस लाख छियासठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ङ))

3- मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-22, लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 5544336 हजार (पाँच सौ चौवन करोड़ तैंतालीस लाख छत्तीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (च))

4- मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-15, कल्याण योजनायें के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 2038952 हजार (दो सौ तीन करोड़ नवासी लाख बावन हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (घ))

5- संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-01, विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 92597 हजार (नौ करोड़ पच्चीस लाख सत्तानवे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

6- संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-03, मंत्रिपरिषद के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 471273 हजार (सैंतालीस करोड़ बारह लाख तिहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

7- मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-04, न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 369281 हजार (छत्तीस करोड़ बानवे लाख इक्कासी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

8- मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-05, निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 53449 हजार (पाँच करोड़ चौतीस लाख उनचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ज))

9- मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-23, उद्योग विभाग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 869999 हजार (छियासी करोड़ निन्नानवे लाख निन्नानवे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (झ))

10- मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-14, सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 91329 हजार (नौ करोड़ तेरह लाख उन्तीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ज))

11- मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-30, अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 4555660 हजार (चार सौ पचपन करोड़ छप्पन लाख साठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ट))

12- मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-31, अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1156553 हजार (एक सौ पन्द्रह करोड़ पैंसठ लाख तिरपन हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ठ))

13- मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-29, औद्योगिक विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 432395 हजार (तीतालीस करोड़ तेईस लाख पंचानवे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

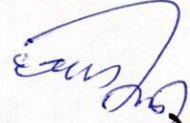
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ड))

16. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।
17. मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करेंगे।
18. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।
19. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2007 पारित किया जाय।
20. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

देहरादून :

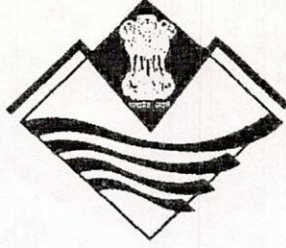
दिनांक : 10 जुलाई, 2007

आज्ञा से,



(हरीश चन्द्र जोशी)

अपर सचिव।



द्वितीय सत्र, 2007
का द्वितीय मंगलवार

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

मंगलवार, 19 आषाढ़, शक संवत्, 1929
(दिनांक : 10 जुलाई, 2007)

नत्थी "क"

अल्पसूचित प्रश्न

हाजी तसलीम अहमद
18-06-2007

**क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि देहरादून नगर में कृषि कार्य हेतु पंजीकृत ट्रैक्टरों का उपयोग नगर में अवैध रूप से जल टैंकर तथा रेता बजरी के ढुलान के लिये किये जाने से नगर का यातायात कुप्रभावित हो रहा है? यदि हाँ, कृषि ट्रैक्टरों के अवैध संचालन के लिये कौन अधिकारी दोषी हैं? क्या विभाग ट्रैक्टर ड्राली तथा टैंकरों के अवैध संचालन पर तत्काल रोक लगायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन

श्री सुरेन्द्र राकेश
22-06-2007

** क्या ऊर्जा मंत्री विधान सभा के वर्ष 2003 के प्रथम सत्र के शुक्रवार (दि० 04.04.2003) के अल्पसूचित प्रश्न संख्या-1 के उत्तर के संदर्भ में बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2001-2003 में मै० जय प्रकाश इण्डस्ट्रीज लि० के अतिरिक्त किन-किन निजी शिक्षण संस्थाओं, निजी ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पतालों की बिलिंग तत्समय प्रवृत्त रेट शिड्यूल एल०एम०वी०-4 पर की गई? इन व्यावसायिक संस्थाओं को विद्युत दरों में छूट का औचित्य एवं आधार क्या था? क्या इस औचित्य एवं आधार पर प्रदेश की अन्य समनुरूप संस्थाओं को भी छूट प्रदान करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

ऊर्जा

नत्थी "ख"

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम 40 (2) के अन्तर्गत स्थगित तारांकित प्रश्न

हाजी तसलीम अहमद
05-06-2007

*6. क्या पुर्नगठन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सभी विभागों में समूह-ग के कार्यरत, जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश के मूल निवासी विकल्पधारी कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश के लिये कार्यमुक्त कर दिया गया है और कितने शेष हैं? क्या सरकार शेष कर्मचारियों को जिन्होंने अपना विकल्प उत्तर प्रदेश का दिया है कार्यमुक्त करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

नत्थी "ग"

तारांकित प्रश्न

श्री ओम गोपाल
06-06-2007

*1. क्या पुर्नगठन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि लखनऊ स्थित विकास भवन में उत्तराखण्ड पुर्नगठन आयुक्त कार्यालय में कुल कितने अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त हैं? इन अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों तथा अन्य सुविधा कार्यालय, वाहन आदि पर प्रतिमाह कुल कितना खर्चा आता है? क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 2001 से 31 मई, 2007 तक कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारियों पर कुल कितना खर्चा आ चुका है? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि पुर्नगठन विभाग सचिवालय उत्तराखण्ड द्वारा कार्मिकों/परिसम्पत्तियों का अंतिम आवंटन का कार्य किया जा चुका है? यदि हाँ, तो अब लखनऊ में पुर्नगठन आयुक्त कार्यालय का औचित्य क्या है? क्या सरकार कार्यालय को तत्काल बन्द करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

पुर्नगठन

अतारांकित प्रश्न

श्री ओम गोपाल
01-06-2007

1. दिनांक 09-07-2007 के अतारांकित 29 द्वारा उत्तरित

श्री ओम गोपाल
07-06-2007

2. क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड नरेन्द्रनगर का मुख्यालय फकोट पूरे ब्लाक का केन्द्र है? क्या यह सत्य है कि स्वास्थ्य सेवा के नाम पर यहाँ मात्र एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है? क्या मंत्री जी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को अपग्रेड कर यहाँ पैथोलौजी, एक्स-रे की स्थापना, महिला चिकित्सक, बालरोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति किये जाने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

स्वास्थ्य

श्री हरभजनसिंह चीमा
06-06-2007

3. क्या तीर्थाटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पूर्व सरकार द्वारा प्रदेश में चार धाम यात्रा हेतु की गई व्यवस्थाओं को चार धाम के स्थान पर सात धाम यात्रा घोषित करते हुए उत्तराखण्ड के सिक्ख समुदाय के हेमकुण्ड साहब एवं नानकमता साहब तथा मुस्लिम समुदाय के कलियर शरीफ (रूड़की) को सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा शासनादेश कब तक जारी किया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?

तीर्थाटन

श्री ओम गोपाल
11-06-2007

4. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्र नगर के अन्तर्गत आगराखाल को पक्षी वन विहार एवं खाड़ी में महादेव जल प्रपात व सती का डांडा को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

पर्यटन

श्री राजेश जुवाँठा
13-06-2007

5. क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि उत्तरकाशी जनपद के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पुरोला, विकासखण्ड मोरी, पुरोला व नौगांव के एलौपैथिक चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राजकीय आर्युवैदिक चिकित्सालयों में डाक्टर और फार्मसिस्ट न होने के कारण आम जनता को प्राथमिक उपचार के लिये देहरादून के अस्पतालों में जाना पड़ता है? क्या यह भी सत्य है कि आज भी कई चिकित्सालयों में स्टाफ न होने के कारण ताले लटके हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालयों के सुचारु रूप से संचालन हेतु कोई कदम उठा रही है?

स्वास्थ्य

श्री राजेश जुवाँठा
18-06-2007

6. क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड मोरी में भ्राडसर, केदारकांठा, देवक्यारा, बुग्याल, हरकीदून व विकासखण्ड नौगांव में सरुताल, भुजेलाताल आदि पर्यटक स्थल हैं? यदि हाँ, तो सरकार इनके विकास के लिये क्या कदम उठा रही है?

पर्यटन

श्री सुरेन्द्र राकेश
20-06-2007

7. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि स्वास्थ्य सामुदायिक केन्द्र भगवानपुर में स्वीकृत पद के अनुसार डाक्टर तैनात है? क्या मंत्री जी अवगत हैं कि प्रभारी चिकित्साधिकारी भगवानपुर के विरुद्ध कोई शिकायत दिनांक 25.05.2007 को मुख्य चिकित्साधिकारी, हरिद्वार को प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो उक्त शिकायत के मुख्य बिन्दु क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

स्वास्थ्य

नत्थी (घ)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या-10, पुलिस एवं जेल विभाग।

प्रस्तावक का नाम

प्रस्ताव का प्रारूप

(क)

1. डा0 हरक सिंह रावत,
2. श्री यशपाल आर्य,
3. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल,
4. श्री महेन्द्र सिंह माहरा,
5. श्री प्रीतम सिंह,
6. श्री दिनेश अग्रवाल,
7. श्री तिलक राज बेहड़,
8. श्रीमती अमृता रावत,
9. श्री किशोर उपाध्याय,
10. श्री जोत सिंह गुनसोला,
11. श्री रणजीत सिंह रावत,
12. श्री बलवीर सिंह नेगी,
13. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल,
14. श्री गोपाल सिंह राणा,
15. कुंवर प्रणव सिंह,
16. श्री केदार सिंह रावत,
17. श्री राजेश जुवांठा,
18. श्री करन माहरा,
19. श्री मनोज तिवारी,
20. श्री मयूख महर।

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(ख)

1. श्री शहजाद,
2. काजी मौ0 निजामुद्दीन,
3. श्री सुरेन्द्र राकेश,
4. श्री हरिदास,
5. चौ0 यशवीर सिंह,
6. श्री प्रेमानन्द महाजन,
7. श्री तसलीम अहमद,
8. श्री नारायण पाल।

-तदैव-

नत्थी (ङ)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या-21, ऊर्जा विभाग।

प्रस्तावक का नाम

प्रस्ताव का प्रारूप

(क)

1. डा0 हरक सिंह रावत,
2. श्री यशपाल आर्य,
3. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल,
4. श्री महेन्द्र सिंह माहरा,
5. श्री प्रीतम सिंह,
6. श्री दिनेश अग्रवाल,
7. श्री तिलक राज बेहड़,
8. श्रीमती अमृता रावत,
9. श्री किशोर उपाध्याय,
10. श्री जोत सिंह गुनसोला,
11. श्री रणजीत सिंह रावत,
12. श्री बलवीर सिंह नेगी,
13. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल,
14. श्री गोपाल सिंह राणा,
15. कुंवर प्रणव सिंह,
16. श्री केदार सिंह रावत,
17. श्री राजेश जुवांठा,
18. श्री करन माहरा,
19. श्री मनोज तिवारी,
20. श्री मयूख महर।

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(ख)

1. श्री शहजाद,
2. चौ0 यशवीर सिंह,
3. काजी मौ0 निजामुद्दीन,
4. श्री हरिदास,
5. श्री नारायण पाल।
6. श्री सुरेन्द्र राकेश,

-तदैव-

नत्थी (च)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या-22, लोक निर्माण कार्य।

प्रस्तावक का नाम

प्रस्ताव का प्रारूप

(क)

1. डा0 हरक सिंह रावत,
2. श्री यशपाल आर्य,
3. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल,
4. श्री महेन्द्र सिंह माहरा,
5. श्री प्रीतम सिंह,
6. श्री दिनेश अग्रवाल,
7. श्री तिलक राज बेहड़,
8. श्रीमती अमृता रावत,
9. श्री किशोर उपाध्याय,
10. श्री जोत सिंह गुनसोला,
11. श्री रणजीत सिंह रावत,
12. श्री बलवीर सिंह नेगी,
13. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल,
14. श्री गोपाल सिंह राणा,
15. कुंवर प्रणव सिंह,
16. श्री केदार सिंह रावत,
17. श्री राजेश जुवांठा,
18. श्री करन माहरा,
19. श्री मनोज तिवारी,
20. श्री मयूख महर।

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(ख)

1. श्री शहजाद,
2. काजी मौ0 निजामुद्दीन,
3. श्री हरिदास,
4. श्री सुरेन्द्र राकेश,
5. चौ0 यशवीर सिंह,
6. श्री नारायण पाल।

-तदैव-

नत्थी (छ)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या-15, कल्याण योजनायें।

प्रस्तावक का नाम

प्रस्ताव का प्रारूप

(क)

1. डा0 हरक सिंह रावत,
2. श्री यशपाल आर्य,
3. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल,
4. श्री महेन्द्र सिंह माहरा,
5. श्री प्रीतम सिंह,
6. श्री दिनेश अग्रवाल,
7. श्री तिलक राज बेहड़,
8. श्रीमती अमृता रावत,
9. श्री किशोर उपाध्याय,
10. श्री जोत सिंह गुनसोला,
11. श्री रणजीत सिंह रावत,
12. श्री बलवीर सिंह नेगी,
13. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल,
14. श्री गोपाल सिंह राणा,
15. कुंवर प्रणव सिंह,
16. श्री केदार सिंह रावत,
17. श्री राजेश जुवांठा,
18. श्री करन माहरा,
19. श्री मनोज तिवारी,
20. श्री मयूख महर।

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(ख)

1. श्री शहजाद,
2. श्री हरिदास,
3. काजी मौ0 निजामुद्दीन,
4. चौ0 यशवीर सिंह,
5. श्री सुरेन्द्र राकेश,

-तदैव-

नत्थी (ज)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या-05, निर्वाचन विभाग।

प्रस्तावक का नाम

1. डा0 हरक सिंह रावत,
2. श्री यशपाल आर्य,
3. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल,
4. श्री महेन्द्र सिंह माहरा,
5. श्री प्रीतम सिंह,
6. श्री दिनेश अग्रवाल,
7. श्री तिलक राज बेहड़,
8. श्रीमती अमृता रावत,
9. श्री किशोर उपाध्याय,
10. श्री जोत सिंह गुनसोला,
11. श्री रणजीत सिंह रावत,
12. श्री बलवीर सिंह नेगी,
13. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल,
14. श्री गोपाल सिंह राणा,
15. कुंवर प्रणव सिंह,
16. श्री केदार सिंह रावत,
17. श्री राजेश जुवांठा,
18. श्री करन माहरा,
19. श्री मनोज तिवारी,
20. श्री मयूख महर।

प्रस्ताव का प्रारूप

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

नत्थी (झ)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या-23, उद्योग विभाग।

प्रस्तावक का नाम

प्रस्ताव का प्रारूप

(क)

1. डा0 हरक सिंह रावत,
2. श्री यशपाल आर्य,
3. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल,
4. श्री महेन्द्र सिंह माहरा,
5. श्री प्रीतम सिंह,
6. श्री दिनेश अग्रवाल,
7. श्री तिलक राज बेहड़,
8. श्रीमती अमृता रावत,
9. श्री किशोर उपाध्याय,
10. श्री जोत सिंह गुनसोला,
11. श्री रणजीत सिंह रावत,
12. श्री बलवीर सिंह नेगी,
13. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल,
14. श्री गोपाल सिंह राणा,
15. कुंवर प्रणव सिंह,
16. श्री केदार सिंह रावत,
17. श्री राजेश जुवांठा,
18. श्री करन माहरा,
19. श्री मनोज तिवारी,
20. श्री मयूख महर।

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(ख)

1. श्री शहजाद,
2. काजी मौ0 निजामुद्दीन,
3. श्री हरिदास,
4. श्री सुरेन्द्र राकेश,
5. श्री नारायण पाल,
6. श्री प्रेमानन्द महाजन,

-तदैव-

नत्थी (ऑ)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आर-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या-14, सूचना विभाग।

प्रस्तावक का नाम

प्रस्ताव का प्रारूप

(क)

1. डा0 हरक सिंह रावत,
2. श्री यशपाल आर्य,
3. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल,
4. श्री महेन्द्र सिंह माहरा,
5. श्री प्रीतम सिंह,
6. श्री दिनेश अग्रवाल,
7. श्री तिलक राज बेहड़,
8. श्रीमती अमृता रावत,
9. श्री किशोर उपाध्याय,
10. श्री जोत सिंह गुनसोला,
11. श्री रणजीत सिंह रावत,
12. श्री बलवीर सिंह नेगी,
13. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल,
14. श्री गोपाल सिंह राणा,
15. कुंवर प्रणव सिंह,
16. श्री केदार सिंह रावत,
17. श्री राजेश जुवांठा,
18. श्री करन माहरा,
19. श्री मनोज तिवारी,
20. श्री मयूख महर।

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(ख)

1. श्री शहजाद,
2. काजी मौ0 निजामुद्दीन,
3. श्री हरिदास,
4. श्री सुरेन्द्र राकेश,
5. श्री नारायण पाल,
6. चौ0 यशवीर सिंह।

-तदैव-

नत्थी (ट)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या-30, अनुसूचित जातियों का कल्याण।

प्रस्तावक का नाम

प्रस्ताव का प्रारूप

(क)

1. डा0 हरक सिंह रावत,
2. श्री यशपाल आर्य,
3. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल,
4. श्री महेन्द्र सिंह माहरा,
5. श्री प्रीतम सिंह,
6. श्री दिनेश अग्रवाल,
7. श्री तिलक राज बेहड़,
8. श्रीमती अमृता रावत,
9. श्री किशोर उपाध्याय,
10. श्री जोत सिंह गुनसोला,
11. श्री रणजीत सिंह रावत,
12. श्री बलवीर सिंह नेगी,
13. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल,
14. श्री गोपाल सिंह राणा,
15. कुंवर प्रणव सिंह,
16. श्री केदार सिंह रावत,
17. श्री राजेश जुवांठा,
18. श्री करन माहरा,
19. श्री मनोज तिवारी,
20. श्री मयूख महर।

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(ख)

1. श्री शहजाद,
2. काजी मौ0 निजामुद्दीन,
3. श्री हरिदास।

-तदैव-

नत्थी (ठ)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या-31, अनुसूचित जनजातियों का कल्याण।

प्रस्तावक का नाम

प्रस्ताव का प्रारूप

(क)

1. डा0 हरक सिंह रावत,
2. श्री यशपाल आर्य,
3. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल,
4. श्री महेन्द्र सिंह माहरा,
5. श्री प्रीतम सिंह,
6. श्री दिनेश अग्रवाल,
7. श्री तिलक राज बेहड़,
8. श्रीमती अमृता रावत,
9. श्री किशोर उपाध्याय,
10. श्री जोत सिंह गुनसोला,
11. श्री रणजीत सिंह रावत,
12. श्री बलवीर सिंह नेगी,
13. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल,
14. श्री गोपाल सिंह राणा,
15. कुंवर प्रणव सिंह,
16. श्री केदार सिंह रावत,
17. श्री राजेश जुवांठा,
18. श्री करन माहरा,
19. श्री मनोज तिवारी,
20. श्री मयूख महर।

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(ख)

1. श्री शहजाद,
2. काजी मौ0 निजामुद्दीन,
3. श्री हरिदास,

-तदैव-

नत्थी (ड)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या-29, औद्योगिक विकास विभाग।

प्रस्तावक का नाम

प्रस्ताव का प्रारूप

(क)

1. डा0 हरक सिंह रावत,
2. श्री यशपाल आर्य,
3. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल,
4. श्री महेन्द्र सिंह माहरा,
5. श्री प्रीतम सिंह,
6. श्री दिनेश अग्रवाल,
7. श्री तिलक राज बेहड़,
8. श्रीमती अमृता रावत,
9. श्री किशोर उपाध्याय,
10. श्री जोत सिंह गुनसोला,
11. श्री रणजीत सिंह रावत,
12. श्री बलवीर सिंह नेगी,
13. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल,
14. श्री गोपाल सिंह राणा,
15. कुंवर प्रणव सिंह,
16. श्री केदार सिंह रावत,
17. श्री राजेश जुवांठा,
18. श्री करन माहरा,
19. श्री मनोज तिवारी,
20. श्री मयूख महर।

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(ख)

1. श्री शहजाद,
2. काजी मौ0 निजामुद्दीन,
3. श्री हरिदास,
4. श्री सुरेन्द्र राकेश,
5. चौ0 यशवीर सिंह

-तदैव-